Mरतका राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

tl. 276] No. 276] NEW			20, 2010/वेशाख 30, 1932 Y 20, 2010/VAISAKHA 30, 1932		
कार्मिक, लोक शिकायत एवं	प्रेंपान प्रंचा	an	(1)	(2)	(3)
(कार्यिक और प्रशिक्षण है		_	अध्यक्ष राजस्य बोर्ड	1	2
अधिसूचना			सरकार के प्रधान सचिव	5	2
नई दिल्ली, 20 मई, 2	010		कृषि उत्पाद आयुक्त	1	2
सा.का.नि. 431(अ).—भारतीय		मेवा (संवर्ग)	महानिदेशक प्रशासनिक अकादमी	1	2
नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-निय			मुख्य निर्वाचन अधिकारी	1	2
पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, १			सरकार के सचिव	11	2
थारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदेत शवि			सदस्य राजस्य बोर्ड	1	2
केन्द्रीय सरकार, क्रचीसगढ़ सरकार के पराभर्श			आयुक्त, वाणिज्यिक कर	1	2
(संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली,			आयुक्त, छत्तीसगढ़ सरकार, नई दिल्ली	1	2
करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखि	त वानयम	बनाता ह,	पंजीयक, सहकारी समितियां	1	2
अर्थात् :		on Colod vos	राज्यपाल के सचिव	1	2
 (1) इन विनियमों का नाम भारतीय संख्या का नियतन) सप्तम संशोधन विनियमा 			मुख्य मंत्री के सचिव	1	2
(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र			हमायुक्त	1	2
को प्रवृत होंगे ।	1 4 1 1 2 2 1 1		उत्पाद आयुक्त	1	2
2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संव	पर संख्या	का नियतन)	आयुक्त, जनजातीय विकास	1	2
विनियमायली, 1955 की अनुसूची में "छत्तीर			आयुक्त, उद्योग	1	2
आने वाली प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को			विकास आयुक्त	1	2
अर्थात् :			प्रमागीय आयुक्त	4	2
छ त्तीसगढ़			कृषि आयुक्त	12	2
राज्य सरकार को अधीन वरिष्ठ	97	तैनाती हेत्	यातायात आयुक्त	1	2
ड्यूटी पद		न्यूनतम	समाहर्वा	18	2
CONTRACT		कार्यकाल	कार्यकारी निदेशक, डीआरडीए एवं	9	2
		(वर्षों में)	पदेन मु.का.अ. जिला पंचायत		3.7
(1)	(2)	(3)	अपर समाहर्ता	6	2
मुख्य सचित्र	1	-	सरकार के अपर सचिव/संयुक्त सचिव/ उप सचिव	14	2

सा.का.नि. सं.

811(34)

812(34)

230(34)

188(31)

427

दिशंक

21-10-2000

21-10-2000

18-12-2004

27-3-2008

24-3-2009

क. सं.

2

3.

5.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

	(1)	(2)	(3
_	निदेशक, लोक अनुदेश	J	
	निदेशक, महिला एवं बाल विकास	1	
	निदेशक, भूमि अभिलेख	1	
	निदेशक, शहरी प्रशासन	1	
	निदेशक, पंचायत एवं समाज कल्याण	1	
	निदेशक, खाद्य सिविल आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	1	
	सचिव, लोक सेवा आयोग	1	
	निदेशक, ट्रेजरीज एवं लेखा	1	
	निदेशक, संस्थागत विच	1	
	निदेशक, बजट	1	
	निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा	1	
	अपर आवासीय अखुक्त, छत्तीसगढ़ सरकार, नई दिल्ली	1	
ı.	कुल वरिष्ठ इ्यूटी पद	97	
2	सी.डी.आर. उक्त मद 1 का 40% से अधिक नहीं	38	
3.	एस.डी.आर. उक्त मद । का 25% से अधिक नहीं	24	
4.	टो.आर. उपर्युक्त मद । का 3.5% से अधिक नहीं	3	
5.	एल आर और कनिष्ठ पद रिजर्ब उपर्युक्त मद 1 का 16.5% से अधिक नहीं	16	
6.	भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा मरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1, 2,3 और 4 के 33.3% से अधिक नहीं	, 54	
7	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1+2+3+4+5-6)	124	

कुल	प्रााधकृत पद सख्या	178
	[फा. सं. 11031/08	/2009-अ.भा.से(11)-क]
	हरीश	। सी. राय, डेस्क अधिकारी
टिप्पणी 1	: इस अधिसूचना के जारी । भारतीय प्रशासनिक सेवा स संख्या 138 थी ।	होने से पहले छत्तीसगढ़ के तंबर्ग की कुल प्राधिकृत पर
टिप्पणी २	: मख्य विनियम दिनांक	22-10-1955 की संख्या

टिप्पणी 2 : मुख्य विनियम दिनांक 22-10-1955 की संख्या सा.का.नि. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे । तत्पश्चात् भारतीय प्रशासनिक सेवा के छत्तीसगढ़ संबर्ग के संबंध में निम्न सा.का.नि. संख्याओं तथा तारीखों द्वारा उन्हें संशोधित किया गया :—

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2010

G.S.R. 431(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (LXI of 1951) read with sub-rules (1) and (2) of Rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Chhattisgarh hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

- (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Seventh Amendment Regulations, 2010.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, under the heading "Chhattisgarh" for the entries occurring thereunder, the following shall be substituted, namely:—

BALL.

CHHATTISGARH

Contra Data Boots and an the

State Government		Minimum Tenure for posting (in years)
(1)	(2)	(3)
Chief Secretary	1	
President, Board of Revenue	1	2
Principal Secretary to the Government	5	2
Agriculture Production Commis- sioner	1	2
Director General Administrative Academy	1	2
Chief Electoral Officer	1	2
Secretary to the Government	11	2
Member, Board of Revenue	1	2

	(I)	(2)	(3)		(1)		(2)	(3)
	Commissioner, Commercial Taxes	i	2	1.	Total Senior I	Outy Posts	97	
	Commissioner, Government of Chhattisgarh, New Delhi	1	2	2.	CDR not excel 1 above	eding 40% of Item	38	
	Registrar, Co-operative Societies	1	2	3.	SDR not excer	eding 25% of Item	24	
Ģ.	Secretary to Governor	1	2	4.		ling 3.5% of Item	3	
	Secretary to Chief Minister	1	2	5.	Land of the Control o	Posts Reserve no		
	Labour Commissioner	1	2			5% of Item 1 abov		
	Excise Commissioner	1	2	6.		led by promotion of the Indian Ad-	54	
	Commissioner, Tribal Development	1	2		ministrative Se	ervice (Recruit-		
Ē	Commissioner, Industries	1	2			954 not exceeding s 1, 2, 3 and 4 abo		
	Development Commissioner	1	2	7.	Posts to be fill	led up by Direct		
	Divisional Commissioners	4	2		Recruitment (I	tems 1+2+3+4+5-	5) 124	
	Commissioner, Agriculture	ા	2		Total Authori	ized Strength	178	-
	Commissioner, Transport	1	2			[F. No. 1103	1/08/200	9-AIS-II-A]
	Collector	18	2			HARISH	C. RAI, I	Desk Officer
	Executive Director, DRDA and Ex-officio, CEO, District Panchayat	9	2	Note	Authorize	he issue of this no ed Strength of Chb		
	Additional Collector	6	2	02998	was 138.			
	Additional Secretary/ Joint Secretary/Deputy Secretary to Government	14	2	Note	fote 2 : The principal Regulations were publis Gezette of India vide No. S.R.O. 33 22-10-1955. Subsequently, they were in respect of the Chhattisgarh Cadre			3350, dated re amended
100	Director, Public Instruction	1	2			trative Service imbers and dates :		following
	Director, Women and Child Development	1	2	_	Sl. No.	G.S.R. No.	Date	,
	Director, Land Records	1	2	-	1.	811(E)	21-10-2	0000
	Director, Urban Administration	1	2		2.	812(E)	21-10-2	
	Director, Panchayat & Social	1	2		3.	427	18-12-2	
	Welfare				4.	230(E)	27-03-2	
	Director, Food, Civil Supplies & Consumer Protection	1	2		5.	188(E)	24-03-2	
	Secretary, Public Service Commission	1	2			अधिसूचना		
	Director, Treasuries and Accounts	1	2		नई	दिल्ली, 20 मई, 20	10	
	Director, Institutional Finance	1	2			१(अ),—अखिल मा		
	Director, Budget	1	2	7.5		की धारा 3 की उ		
	Director, Local Fund Audit	1	2			(ते हुए केन्द्र सरकार ।सनिक सेवा (वेतन)		
				4 44 44				

- (i) ये नियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नींवा संशोधन नियमावली, 2010 कहलाएंगे ।
- (ii) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
 - 2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (बेतन) नियमावली, 2007 में :--
 - (क) तालिका में 'अनुसूची 11-क में, राज्य सरकारों के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा में ऊपर के वेतन वाले पदों ' में, प्रथम कॉलम में "छत्तीसगढ़" प्रविष्टि और द्वितीय कॉलम में तद्नुरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

छत्तीसगढ़

मुख्य सचिव	80,000 रुपए (नियत)
अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड	80,000 रूपए (नियत)
सरकार के प्रधान सचिव	एच.ए.जी. बेतनमान : 67,000—79,000 रु. (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत को दर से)
कृषि उत्पाद आयुक्त	एच.ए.जी. बेतनमान : 67,000—79,000 रु. (चार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से)
महा निदेशक, प्रशासनिक अकादमी	एच.ए,जी. वेतनमान : 67,000—79,000 रु. (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी	पी.बी4 + ग्रेड पे 10,000 ह.
सरकार के सचिव	पो.बी4 + ग्रेड में 10,000 रू.
सदस्य राजस्य बोर्ड	पी.बी4 + ग्रेड पे 10,000 रु.
आयुक्त, वाणिन्यिक कर	षी.बी4 + ग्रेड पे 10,000 रू.
आयुक्त, छत्तीसगढ् सरकार, न ई दिल्ली	पी.बी4 + ग्रेड पे 10,000 ह.
पंजीयक, सहकारी समितियां	पी.बी4 + ग्रेड पे 10,000 रू.
राज्यपाल के सचिव	पी.बी4 + ग्रेड पे 10,000 रू.
मुख्य मंत्री के सचिव	पी.बी4 + ग्रेड पे 10,000 रु.
श्रमायुक्त	पी.बी4 + ग्रेड पे 10,000 रू.
उत्पाद आयुक्त	पी.बी4 + ग्रेड पे 10,000 रू.
आयुक्त, जनजातीय विकास	पी.बी4 + ग्रेड पे 10,000 रू.
आयुक्त, उद्योग	मो.बी4 + ग्रेड पे 10,000 ह.
विकासं आयुक्त	पी.बी4 + ग्रेड पे 10,000 रु.
प्रभागीय आयुक्त	पी.बी4 + ग्रेड पे 10,000 रू.
कृषि आयुक्त	पी.बी4 + ग्रेड में 10,000 रू.
याताचात आयुक्त	पी.बी.~4 + ग्रेड में 10,000 रु.

(ख) 'अनुसूची-II भाग ख में बेतन के अतिरिक्त विशेष चेतन वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों' में 'छत्तीसगढ़' शीर्षक के तहत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

समाहर्ता कार्यकारी निदेशक, डीआरडीए एवं पदेन मृ.का.अ. जिला पंचायत अपर समाहर्ता सरकार के अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव निदेशक, लोक अनुदेश निदेशक, महिला एवं बाल विकास निदेशक, भूमि अभिलेख निदेशक, शहरी प्रशासन निदेशक, पंचायत एवं समाज कल्याण निदेशक, खाद्य सिविल आपूर्ति एवं उपमोक्ता संरक्षण सचिव, लोक सेवा आयोग निदेशक, ट्रेजरीज एवं लेखा निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशक, बजट निदेशक, स्थानिय निधि लेखा परीक्षा अपर आवासीय आयक्त, छत्तीसगढ सरकार, नई दिल्ली

[फा. सं. 11631/08/2009-अ.पा.से. (11)-2क]

हरीश सी. राव, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी: मुख्य नियम दिनांक 20-03-2008 की सं. सा.का.नि. 213(अ) हारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए एवं तत्पश्चात् सं. सा.का.नि. 665(अ), दिनांक 19-09-2008, 123(अ), दिनांक 15-04-2009, सं. सा.का.नि. 542(अ), दिनांक 21-07-2009, सं. सा.का.नि. 572(अ), दिनांक 13-08-2009, सं. सा.का.नि. 820, दिनांक 12-11-2009, सं. सा.का.नि. 72(अ), दिनांक 10-2-2010, सं. सा.का.नि. 102(अ), दिनांक 25-02-2010, सं. सा.का.नि. 191(अ), दिनांक 12-03-2010 सं. सा.का.नि. 298(अ), दिनांक 08-04-2010, सं. सा.का.नि. 397(अ), दिनांक 1-5-2010 और सं. सा.का.नि. 404(अ), दिनांक 13-5-2010।

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2010

G.S.R. 432(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of Chattisgarh hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007, namely:—

- (i) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Ninth Amendment Rules, 2010.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007:—

In "Scheduled II-A posts carrying pay above the time scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments", in the table, for the entry "CHHATTISGARH" occuring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:

CHHATTISGARH

Chief Secretary	Rs. 80000 (fixed)
President, Board of Revenue	Rs. 80000 (fixed)
Principal Secretary to the	65650whatetasta
Government	HAG Scale Rs. 67000- 79000 (annual
	increment @ 3%)
Agriculture Production	*
Commissioner	HAG Scale Rs. 67000- 79000 (annual
	increment @ 3%)
Director General Administrative	
Academy	HAG Scale Rs. 67000- 79000 (annual
	increment @ 3%)
Chief Electoral Officer	PB-4 + GP Rs. 10000
Secretary to the Government	PB-4+GP Rs. 10000
Member, Board of Revenue	PB-4+GP Rs. 10000
Commissioner, Commercial Taxes	PB-4+GPRs. 10000
Commissioner, Govt. of Chhattisgarh, New Deihi	PB-4+GPRs. 10000
Registrar, Co-operative Societies	PB-4+GP Rs. 10000
Secretary to Governor	PB-4 + GP Rs. 10000
Secretary to Chief Minister	PB-4+GP Rs. 10000
Labour Commissioner	PB-4+GP Rs. 10000
Excise Commissioner	PB-4+GP Rs. 10000
Commissioner, Tribal Development	PB-4 + GP Rs. 10000
Commissioner, Industries	PB-4 + GP Rs. 10000
Development Commissioner	PB-4+GP Rs. 10000
Divisional Commissioners	PB-4+GP Rs. 10000
Commissioner, Agriculture	PB-4+GP Rs. 10000
Commissioner, Transport	PB-4+GPRs. 10000

(b) In "Schedule II-Part B" Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying special pay in addition to pay, for the entries occurring under 'Chhattisgarh', the following shall be substituted, namely:— Collector

Executive Director, DRDA and Ex-officio, CEO, District Panchayat

Additional Collector

Additional Secretary/Joint Secretary/Deputy Secretary to Government

Director, Public Instruction

Director, Women and Child Development

Director, Land Records

Director, Urban Administration

Director, Panchayat and Social Welfare

Director, Food, Civil Supplies and Consumer Protection

Secretary, Public Service Commission

Director, Treasuries and Accounts

Director, Institutional Finance

Director, Budget

Director, Local Fund Audit

Additional Resident Commissioner, Govt. of Chhattisgarh, New Delhi

[F. No. 11031/08/2009-AIS-II-B]

HARISH C. RAI, Desk Officer

Note: The Principal Rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide No. G.S.R. 213(E), dated 20-03-2008 and subsequently were amended vide No. G.S.R. 665(E), dated 19-09-2008, 123(E), dated 15-4-2009, No. G.S.R. 542(E), dated 21-07-2009, No. G.S.R. 572(E), dated 13-08-2009, No. G.S.R. 820 dated (2-11-2009, No. G.S.R. 72(E), dated 10-02-2010, No. G.S.R. 102 (E), dated 25-02-2010, No. G.S.R. 191(E), dated 12-03-2010, No. G.S.R. 298(E), dated 08-04-2010, No. G.S.R. 397(E), dated 01-05-2010 and No. G.S.R. 404(E), dated 13-05-2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई. 2010

सा.का.नि. 433(अ).— भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियनन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतदुद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

- (i) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) पंचम संशोधन विनियमावली, 2010 कहलाएंगे ।
- (ii) ये विनिधम सरकारी एजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रयुक्त होंगे ।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में 'पश्चिम बंगाल' शीर्षंक में, उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :---

(1)	(2
राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद	17
सरकार के मुख्य सचिव	1
अपर मुख्य सचिव एवं भूमि सुधार यहा आयुक्त	E
अपर मुख्य सचिव, वन विभाग	10
अपर मुख्य संचिव, गृह विभाग	1
सरकार के प्रधान सचिव	18
प्रभागीय आयुक्त	3
सरकार के सचिव/विशेष सविव	40
भूमि सुधार आयुक्त	1
निदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान	1
निदेशक, समाज कल्याण	1
वाणिज्यिक कर आयुक्त	1
श्रमायुक्त	1
पिछड्। वर्ग कल्याण आयुक्त	1
पंचायत आयु क्त	1
परिवार कल्याण आयुक्त	1
स्कूली शिक्षा आयुक्त	1
उत्पाद आयुक्त	1
भूमि अभिलेख एवं सर्वे निदेशक	1
जन वाहन विभाग निदेशक	1
सरकार के संयुक्त सचिव	35
भुटीर एवं लघु उद्योग निदेशक	1
मूल्यांकन, विकास एवं परियोजना विभाग निदेशक	1
राशन निदेशक	1
जिला वितरण प्रापण एवं आपूर्ति निदेशक	1
स्थानीय निकाय एवं पदेन संयुक्त सचिव, स्थानीय सरकार एवं शहरी विकास विभाग निदेशक	1
सचिव, सतकर्ता आयोग	1
पंजीयक, सहकारी समितियां	1
जिलाधीश एवं समाहर्ता	18
अपर जिलाधीश/(डी एल एल आर ओ)/	21
वंदोबस्त अधिकारी	
भूमि अधिग्रहण समाहर्ता, कोलकाता	1
रोजगार निदेशक	1
उपभोक्ता सामग्री निर्देशक	1
मत्स्य निदेशक	1
ई.एस.आई. निदेशक	-1

	(1)	(2)
	निदेशक, रेशम पालन	1
	प्रधान निदेशक, सिपार्ड कल्याणी	1
	कृषि आयकर, आयुक्त	1
	उद्योग, परामर्शदाता	1
	निदेशक उद्योग	1
	प्रधान सचिव, दार्जिलिंग गोरखा हिल, कौंसिल	1
	सचिव, के. एम. डी. ए.	1
	सो ई ओ, डब्ल्यू बी आई आई डी सी	1
1.	कुल बरिष्ठ ड्यूटी पद	171
2.	सी.डी.आर. उक्त मद 1 का 40% से अधिक नहीं	68
3.	एस.डी.आर. उक्त मद 1 का 25% से अधिक नहीं	42
4.	टी.आर. उपर्युक्त मद । का 3.5% से अधिक नहीं	5
5.	एल.आर. और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद	
	। का 16.5% से अधिक नहीं	28
6.	भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली,	
	1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा	
	भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1, 2, 3 और	
	4 के 33.3% से अधिक नहीं	95
7.	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद	
	(耳 1+2+3+4+5-6)	219
	कुल प्राधिकृत पद संख्या	314

हरीश सी. राय, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी 1 : इस अधिसूचना के जारी होने से पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा के पश्चिम बंगाल संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 296 थी ।

टिप्पणी 2 : मुख्य विनियम दिनांक 22-10-1955 की संख्या सा.का.नि. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में -प्रकाशित किए गए थे । तत्पश्चात् भारतीय प्रशासनिक सेवा के पश्चिम बंगाल संवर्ग के संबंध में निम्नालिखित सा.का.नि. संख्यओं तथा तारीखों द्वारा उन्हें संशोधित किया गया :---

क्र. सं.	सा.का.नि. सं.	दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	450(अ)	22-9-73
2.	373(31)	26-3-74
3.	95(अ)	25-1-75
4.	424(31)	25-6-76
5.	654(34)	28-10-77
6.	951	29-7-78
7.	176	16-2-80

(1)

(3)

(1)	(2)	(3)
8.	104(31)	10-3-80
9.	571(अ)	7-10-80
10.	618(34)	20-10-82
11.	787	31-12-88
12.	17(31)	10-1-83
13.	50	19-1-85
14.	834	7-9-85
15.	795(34)	18-9-87
16.	744	24-9-88
17.	393	10-6-89
18.	258	29-5-93
19.	319(अ)	31-3-95
20.	312	27-7-96
21.	739	31-12-97
22.	259	7-8-04
23.	188(34)	24-3-09

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2010

G.S.R. 433(E),—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (LXI of 1951) read with sub-rules (1) and (2) of Rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of West Bengal hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

- (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Fifth Amendment Regulations, 2010.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadro Strongth) Regulations, 1955, under the heading "West Bengal" for the entries occurring thereunder, the following shall be substituted namely:—

WEST BENGAL

	Senior Duty Posts under the State Government	171
(1)	(2)	(3)
	Chief Secretary to Government	1
	Additional Chief Secretary & Commissioner General, Land Reforms	1

1949 4010-3

Additional Chief Secretary, Forest Department	
Additional Chief Secretary, Home Department	1
Principal Secretary to the Government	18
Commissioner of Division	3
Secretary/Special Secretary to Government	40
Land Reforms Commissioner	1
Director, Administrative Training Institute	1
Director, Social Welfare	1
Commissioner for Commercial Taxes	1
Labour Commissioner	1
Commissioner of Backward Classes Welfare	1
Commissioner of Panchayats	1
Commissioner of Family Welfare	1
Commissioner of School Education	1
Commissioner of Excise	1
Director of Land Records and Survey	1
Director of Public Vehicles Department	1
Joint Secretary to Government	35
Director of Cottage and Small Scale Industries	1
Director of Evaluation, Development and Planning Department	ŧ
Director of Rationing	1
Director of District Distribution Procurement and Supply	1
Director, Local Bodies and ex-officio Joint Secretary, Local Government and Urban Development Department	1
Secretary, Vigilance Commission	,
Registrar, Cooperative Societies	1
District Magistrate and Collector	18
Additional District Magistrate/(DLLRO)/ Settlement Officer	21
Land Acquisition Collector, Kolkatta	1
Director of Employment	i
Director of Consumer Goods	1
Director of Fisheries	1
Director, ESI	1
Director, Sericulture	÷
	1
Principal Director, SIPARD Kalyani Commissioner, Agricutural Income Tax	1
Advisor, Industries	-
Analysis industries	9,6

Additional Chief Secretary, Forest Department

8	THE GAZETTE	OF INDIA	: EXTRAORDI	NARY	[PART II-SEC. 3(i)]
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
	Principal Secretary, Darjeeling Gorkha Hill	1	15.	795(E)	18-9-87
	Council		16.	744	24-9-88
	Secretary, KMDA	1	17.	393	10-6-89
	CEO, WBIIDC	1	18,	258	29-5-93
1.	Total Senior Duty Posts	171			25-3-93
2,	CDR not exceeding 40% of item 1 above	68	19.	319(E)	31-3-95
3.	SDR not exceeding 25% of Item 1 above	42	20.	312	27-7-96
4.	TR not exceeding 3.5% of Item 1 above	5	21.	739	31-12-97
5.	LR and Junior Posts reserve not exceeding	28	22.	259	7-8-2004
	16.5% of Item 1 above	28	23.	188(E)	24-3-2009
6.	Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33.3% of Items 1, 2, 3 and 4 above	95		अधिसूचना नई दिल्ली, 20 मई	

219

314

सा.का.नि. 434(अ),---अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की भारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (बेतन) नियमावली, 2007 में और आगे संशोधन करने के लिए एतदुद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

- (1) ये नियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) सतवां संशोधन नियमावली, 2010 कहलाएंगे ।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तरीख को प्रवृत्त होंगे ।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में :--

(क) तालिका में 'अनुसूची II-क में, राज्य सरकारों के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा में ऊपर के बेतन वाले पदों' में, प्रथम कॉलम में "पश्चिम बंगाल" प्रविष्टि और द्वितीय कॉलम में तदनुरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा. अर्घीत :---

(F.	No.	11031/	09/20	009-AIS-II-A
1	TAR	ISHC	RAI	Desk Officer

Note 1: Prior to the issue of this notification, the Total Authorized Strength of West Bengal 1AS Cadre was 296.

(Items 1+2+3+4+5-6)

Total Authorised Strength

7.

Posts to be filled up by Direct Recruitment

Note 2: The principal Regulations were published in the Gezette of India vide No. SRO 3350, dated 22-10-1955. Subsequently, they were amended in respect of the West Bengal Cadre of Indian Administrative Service vide following G.S.R. numbers and dates :-

SI. No.	G.S.R.	Date
(1)	(2)	(3)
L.	450(E)	22-9-73
2	373(E)	26-3-74
3.	95(E)	25-1-75
4.	424(E)	25-6-76
5.	654(E)	28-10-77
6.	951	29-7-78
7.	176	16-2-80
8.	104(E)	10-3-80
9.	571(E)	7-10-80
10.	618(E)	20-10-82
11.	787	31-12-98
12.	17(E)	10-1-83
13.	50	19-1-85
14.	834	7-9-85

पश्चिम बंगाल		
(1)	(2)	
सरकार के मुख्य सचिव	80,000 रुपए (नियत)	
अपर मुख्य सचिव एवं भूमि सुधार महा आयुक्त	80,000 रुपए (नियत)	
अपर मुख्य सचिव, वन विधाग	80,000 रुपए (नियत)	
अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग	80,000 रुपए (नियत)	
सरकार के प्रधान सचिव	एच.ए.जी. वेतनमान : 67,000- -79,000 रु. (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से)	
प्रधागीय आयुक्त	पी.बी4 + ग्रेड पे 10,000 ह.	
सरकार के सचिव/विशेष सचिव	पी.बी4+ ग्रेड पे 10,000 रू.	
भूमि सुधार आयुक्त	पी.बी4 + ग्रेड पे 10,000 रू.	
निदेशक, प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान	पी.बी4 + ग्रेड पे 10,000 रू.	

(1)	(2)
निदेशक, समाज कल्याण	पी.बी4 + ग्रेड पे 10,000 ह.
वाणिन्यिक कर आयुक्त	पी.बी4 + ग्रेड पे 10,000 रू.
ब्रमायुक्त	पी.बी4 + ग्रेड पे 10,000 रु.
पिछड्। वर्ग कल्याण आयुक्त	पी.बी4 + ग्रेड पे 10,000 ह.
पंचायत आयुक्त	षी.बी4 + ग्रेड पे 10,000 रू.
परिवार कल्याण आयुक्त	पी.बी4 + ग्रेड पे 10,000 रू.
स्कूली शिक्षा आयुक्त	पी.बी4 + ग्रेड पे 10,000 रू.
उत्पाद आयुक्त	पी.बी4 + ग्रेड पे 10,000 रू.

(ख) 'अनुसूची II-भाग ख' में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों में 'पश्चिम बंगाल' शीर्षक के तहत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

भूमि अभिलेख एवं सर्वे निदेशक जन वाहन विभाग निदेशक सरकार के संयुक्त सचिव कटीर एवं लघु उद्योग निदेशक मुल्यांकन, विकास एवं परियोजना विभाग निदेशक राशन निदेशक जिला वितरण प्रापण एवं आपूर्ति निदेशक स्थानीय निकाय एवं पदेन संयुक्त सचिव, स्थानीय सरकार एवं शहरी विकास विभाग निदेशक सचिव, सतर्कता आयोग पंजीयक, सहकारी समितियां जिलाधीश एवं समाहर्ता अपर जिलाधीश/(डी एल एल आर ओ)/बंदोबस्त अधिकारी भूमि अधिग्रहण समाहर्ता, कोलकाता रोजगार निदेशक उपभोक्ता सामग्री निदेशक मत्स्य निदेशक ई.एस.आई. निदेशक निदेशक, रेशम पालन प्रधान निदेशक, सिपार्ड कल्याणी कृषि आयकर, आयुक्त उद्योग, परामर्शदाता निदेशक उद्योग प्रधान सचिव, दार्जिलिंग गोरखा डिल, कौसिल सचिव, के.एम.डी.ए. सी ई ओ, डब्ल्यू बी आई आई डी सी

> [फा. सं. 11031/09/2009-अ.धा.से. (II)-ख] हरीश सी. राय, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी.—मुख्य नियम दिनांक 20-3-2008 की सं. सा.का.नि. 213(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किए गए एवं तरपरचात् सं सा.का.नि. 665(अ) दिनांक 19-9-2008, 123(अ) दिनांक 15-4-2009, सं. सा.का.नि. 542(अ) दिनांक 21-7-2009, सं. सा.का.नि. 572(अ) दिनांक 13-8-2009, सं. सा.का.नि. 820 दिनांक 12-11-2009, सं. सा.का.नि. 72(अ) दिनांक 10-2-2010, सं. सा.का.नि. 102(अ) दिनांक 25-2-2010, सं. सा.का.नि. 191(अ) दिनांक 12-3-2010, सं. सा.का.नि. 298(अ) दिनांक 8-4-2010, सं. सा.का.नि. 397(अ) दिनांक 1-5-2010 और सं. सा.का.नि. 397(अ) दिनांक 1-5-2010 और सं. सा.का.नि. 404(अ) दिनांक

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2010

G.S.R. 434(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of West Bengal hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007, namely:—

- (i) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Tenth Amendment Rules, 2010.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Indian Administrative Service (Pay) Rules,
 2007:—

In "Scheduled II-A posts carrying pay above the time scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments", in the table, for the entry 'West Bengal' occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:

'WEST BENGAL

(1)	(2)		
Chief Secretary to Government	Rs. 80,000 (fixed)		
Additional Chief Secretary and Commissioner General, Land Reforms	Rs. 80,000 (fixed)		
Additional Chief Secretary, Forest Department	Rs. 80,000 (fixed)		
Additional Chief Secretary, Home Department	Rs. 80,000 (fixed)		
Principal Secretary to the Government	HAG Scale Rs. 67000- 79000 (annual Incre- ment @ 3%)		
Commissioner of Division	PB-4+GP Rs. 10,000		

(1)	(2)
Secretary/Special Secretary to Government	PB-4+GP Rs. 10,000
Land Reforms Commissioner	PB-4+GP Rs. 10,000
Director, Administrative Training Institute	PB-4+GPRs. 10,000
Director, Social Welfare	PB-4+GPRs. 10,000
Commissioner for Commercial Taxes	PB-4+GP Rs. 10,000
Labour Commissioner	PB-4+GPRs. 10,000
Commissioner of Backward Classes Welfare	PB-4+GP Rs. 10,000
Commissioner of Panchayats	PB-4+GPRs. 10,000
Commissioner of Family Welfare	PB-4+GPRs. 10,000
Commissioner of School Education	PB-4+GP Rs. 10,000
Commissioner of Excise	PB-4+GPRs. 10,000'

(b) In "Schedule II-Part B" Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying special pay in addition to pay, for the entries occurring under 'West Bengal', the following shall be substituted, namely:—

Director of Land Records and Survey
Director of Public Vehicles Department
Joint Secretary to Government
Director of Cottage and Small Scale Industries
Director of Evaluation, Development and Planning
Department
Director of Rationing
Director of District Distribution Procurement and
Supply
Director, Local Bodies and ex-officio Joint
Secretary, Local Government and Urban

Development Department

Secretary, Vigilance Commission Registrar, Cooperative Societies District Magistrate and Collector Additional District Magistrate/DLLRO/Settlement Officer Land Acquisition Collector, Kolkata Director of Employment Director of Consumer Goods Director of Fisherics Director, ESI Director, Sericulture Principal Director, SIPARD Kalyani Commissioner, Agricultural Income Tax Advisor, Industries Director of Industries Principal Secretary, Darjeeling Gorkha Hill Council Secretary, KMDA

[F. No. 11031/09/2009-AIS-(II)-B]
HARISH C. RAI, Desk Officer

Note.—The Principal Rules were published in the Gazette India. Extraordinary of No. G.S.R. 213(E) dated 20-3-2008 and subsequently amended No. G.S.R. 665(E) dated 19-9-2008, 123(E) dated 15-4-2009, No. G.S.R. 542(E) dated 21-7-2009, No. G.S.R. 572(E) dated 13-8-2009, No. G.S.R. 820 dated 12-11-2009, No. G.S.R. 72(E) dated 10-2-2010, No. G.S.R. 102(E) dated 25-2-2010, No. G.S.R. 191(E) dated 12-3-2010, No. G.S.R. 298(E) dated 8-4-2010. No. G.S.R. 397(E) dated 1-5-2010 and No. G.S.R. 404(E) dated 13-5-2010.

CEO, WBITDC